संख्या-192/2016/2253जेएल/22-3-16-800(138)/2014

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
यमुनानगर(हरियाणा)।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2016***

विषय- जिला कारागार, सहारनपुर के बंदी सूर्यकान्त पुत्र श्री प्रेमचन्द, निवासी-ग्राम-मकान-835/सी, मोहल्ला श्यामसुन्दरपुरी, थाना-शहर जगाधरी, जिला-यमुनानगर(हरियाणा) को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सहारनपुर के बंदी सूर्यकान्त पुत्र श्री प्रेमचन्द, निवासी-ग्राम-मकान-835/सी, मोहल्ला श्यामसुन्दरपुरी, थाना-शहर जगाधरी, जिला-यमुनानगर(हरियाणा) को शासनादेश संख्या-132/2016/1378जेएल/22-3-16-800(138)/2014, दिनांक 13-04-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-192/2016/2253जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर(हरियाणा)।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in